भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 511

उत्तर देने की तारीख : 06.02.2024

अनुसूचित जाति सूची का उप-वर्गीकरण

511. **श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में 1,200 से अधिक अनुसूचित जातियों के बीच सबसे पिछड़े समुदायों को लाभ, योजनाओं और पहलों के समान वितरण के लिए एक पद्धति का मूल्यांकन करने और उस पर काम करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जाति जनगणना अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के लिए एकमात्र अनुभवजन्य आधार हो सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कई राज्यों ने अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करने और अनुसूचित जातियों के दायरे में इन उपश्रेणियों के लिए आरक्षण की एक अलग मात्रा पर निर्णय लेने के लिए राज्य स्तर पर आरक्षण कानून लाने का प्रयास किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण का मामला वर्तमान समय में वर्ष 2011 की सिविल अपील संख्या 2317 में उच्चतम न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष निर्णयाधीन है। सरकार अनुसूचित जातियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण संबंधी कार्यों की नियमित समीक्षा करती है। अनुसूचित जातियों के कुछ विशिष्ट समुदायों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए स्कीमों तथा पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदमों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है।

******